

फर्दे अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय
 सरकार बनाम जजरी 0/5
 म मुकदमा 71 मु0 नं0 30/21

| क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|------|---|--|
| 4 | <p>उपखण्ड अधिकारी सिर्फे अखिले ऊधियक्स्ता जोरधर गुजर इत्य पेस फर्दे कर कमील कार्यो को सुरा जमा। पत्रावली का कव लोकेन भिगा जमा। कलम का मूरज भिगा जमा।</p> <p>हम सिविल पर पहुँचते हो पृथक हुक्मों धारण करार केय सुविधा का संतुलन पानी जल के पल में साविर होला हो जाम चॉडरो के खाला सं 158/164 के खयरा 404 के राजस्व रिपोर्ट को यथास्थिति कागामी लापेसी, तउ बनाये रखे। कपासीगणे को कोई कापसि होगे नियत लापेसी 15-3-2021 को उग्र कापसि पेस करे। लाली कपासीगण होकर सि 15-3-2021 को पेस हो।</p> <p style="text-align: right;">Jr उपखण्ड अधिकारी सिक्काय जिला-दोसा</p> <p>पत्रावली पेस। मूल वाद में आल दि. का कल सुनी जा चुकी है। पत्रावली निर्णय हेतु सि. 7-4-21 को पेस हो।</p> <p>पत्रावली पेस। मूल वाद आल दि. का डिप्टी किया जा चुका है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर हाकील सफर हो।</p> <p style="text-align: right;">Jr (राजनीवाले)</p> | |